

मुगल साम्राज्य

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और मुगल शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी।
- मुगल काल में ही शेरशाहसूरी ने अपनी प्रशासनिक, भू-राजस्व, सैन्य प्रशासक, मुद्रा इत्यादि क्षेत्रों में कैसे विशिष्ट पहचान बनायी।
- मुगल शासकों में विशेषकर अकबर की नीतियों और उसके द्वारा स्थापित राजनैतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था ने किस प्रकार उसे एक महान शासक के रूप में स्थापित किया।
- मुगल काल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक नीति ने किस प्रकार एक विशिष्ट पहचान दी।

मुगल साम्राज्य (Mughal Empire)

बाबर (1526-1630 ई.)

बाबर का जन्म 14 फरवरी, 1483 का मावराउन्नहर (ट्रान्स-आक्सियान) की एक छोटी-सी रियासत फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमरशेख मिर्जा तथा माँ का नाम कुतलुगानिगार खानम था। बाबर पितृ पक्ष की ओर से तैमूर का पाँचवाँ वंशज तथा मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खाँ का चौदहवाँ वंशज था। बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली, वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खाँ के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था।

बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में 1494 ई. में फरगना की गद्दी पर आसीन हुआ। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उजबेकों (शैबानीखान) से बार-बार पराजय, शक्तिशाली सफावी वंश तथा उस्मानी वंश के भय का परिणाम था।

बाबर ने 1504 ई. में काबुल पर अधिकार कर लिया और परिणाम स्वरूप उसने 1507 ई. में बादशाह की उपाधि धारण की, बादशाह से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था।

बाबर का भारत पर आक्रमण

बाबर के आक्रमण के समय भारत राजनैतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दौलत खाँ लोदी, दिलवार खाँ एवं राणा सांगा ने दिया था। भारत पर बाबर ने पहला आक्रमण 1519

ई. में युसुफजाई जाति के बाजौर पर किया था। इसी युद्ध के दौरान उसने भेरा के किले को भी जीता था। इस युद्ध में भारत में सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल किया गया था।

पानीपत का प्रथम युद्ध (21 अप्रैल, 1526)

पानीपत का प्रथम युद्ध लोदी शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण घूमकर पीछे की ओर से हमला करने की तुलुगमा युद्ध पद्धति (उजबेक) तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि (रुमी विधि) थी। उस्मानी विधि में दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की विधि थी। बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खाँ नामक तुर्की अधिकारियों ने किया। इस युद्ध में सल्तनत के लोदी शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक, अधिकारियों, नौकरों एवं सगे-संबंधों में बाँटा और कलंदर की उपाधि धारण की।

खानवा और चंदेरी का युद्ध (1527-1528)

खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च, 1527 को लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खाँ मेवाती, महमूद लोदी, आलम खाँ लोदी तथा मेदिनी राय ने भाग लिया था।

इसी युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने जिहाद (इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध) का नारा दिया तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा की। युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने 29 जनवरी, 1528 को चंदेरी पर अधिकार के लिए मेदिनी राय पर आक्रमण कर परास्त किया।

घाघरा का युद्ध (6 मई 1529)

बाबर ने 6 मई, 1529 मे घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। यह बाबर का अन्तिम युद्ध था। 26 दिसंबर, 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा के नूर अफगान (आधुनिक आरामबाग) बाग में दफना दिया गया, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया।

बाबर ने अपनी आत्मकथा *तुजुक-ए-बाबरी* तुर्की भाषा में लिखी, जिसमें भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन-स्तर, पशु पक्षियों एवं फूलों तथा फलों का विस्तृत वर्णन किया गया है। बाबर ने लिखा है कि उसकी विजय के समय भारत में पाँच मुस्लिम और दो हिंदू शासक राज्य करते थे। विजय नगर के शासक के कारीगरों की प्रशंसा की है जिन्होंने आगरा, बयाना, धौलपुर ग्वालियर और कौल में इमारतें बनाईं। बाबर के अनुसार, भारत के व्यक्ति न सुंदर हैं और न ही सुसंस्कृत। यहाँ न अच्छे घोड़े हैं न अच्छे कुत्ते न अच्छे अँगूर न और न ही अच्छे खरबूजें।

बाबर का योगदान

बाबर बागों को शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया, जिसे नूरे-अफगान कहा जाता था, परंतु अब इसे आराम बाग कहा जाता है। बाबर द्वारा सड़क नापने का पैमाना 'गज-ए-बाबरी' का प्रयोग किया गया। बाबर ने एक काव्य संग्रह 'दीवान' (तुर्की भाषा) का संकलन करवाया, साथ ही *मुबाइयान* नामक एक पद्य शैली का विकास किया।

हुमायूँ (1530-1540, 1555-1556 ई.)

बाबर के चार पुत्र (हुमायूँ, कामरान, अस्करी तथा हिन्दाल) थे जिसमें हुमायूँ सबसे बड़ा था। इसका जन्म 6 मार्च, 1508 को हुआ था। बाबर की मृत्यु के पश्चात् नसिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूँ तेईस वर्ष की आयु में 30 दिसंबर, 1530 को हिन्दुस्तान के सिंहासन पर बैठा। हुमायूँ ने अपने साम्राज्य का विभाजन करते हुए भाई कामरान को काबुल एवं कंधार, अस्करी को सम्भल तथा हिंदाल को अलवर की जागीर दी।

हुमायूँ की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे। इनमें सर्वप्रमुख नेता शेरखाँ या शेरशाह सूरी था। अन्य विरोधियों में गुजरात का शासक बहादुरशाह था। हुमायूँ ने अपना पहला आक्रमण कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव (1531 ई.) पर किया। यह आक्रमण मूलतः बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास था, किंतु हुमायूँ को इसमें असफलता प्राप्त हुई। हुमायूँ का अफगानों से पहला मुकाबला महमूद लोदी के साथ (1532 ई.) में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ जिसमें अफगान पराजित हुए।

हुमायूँ का शेर खाँ से संघर्ष

शेरखाँ या शेरशाह के विरुद्ध हुमायूँ ने अपना पहला अभियान (1532 ई. में) चुनार में घेरा डाल कर आरंभ किया। चार महीने के लगातार किले के घेरे के पश्चात् शेरखाँ ने हुमायूँ की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने पुत्र कुतुब खाँ के साथ एक अफगान सैनिक टुकड़ी मुगलों की सेवा में भेज दी।

इसके बाद शेरखाँ पुनः अपनी शक्ति को बढ़ाने के प्रयास में लग गया और 1534 ई. में सूरजगढ़ तथा 1536 ई. में बंगाल को जीत लिया तथा सिंध द्वारा गयासुद्दीन महमूद को खिराज देने के लिए बाध्य किया। खिराज न देने पर उसने 1537 ई. में बंगाल पर पुनः आक्रमण किया। लेकिन शेर खाँ से बचने के लिए बंगाल के शासक ने हुमायूँ से सहायता की प्रार्थना की।

शेरखाँ की शक्ति नियंत्रण करने के लिए हुमायूँ बंगाल की ओर बढ़ा और 1537 ई. में चुनारगढ़ पर अपना दूसरा घेरा डाल दिया और किले पर अधिकार कर लिया। 15 अगस्त, 1538 को जब हुमायूँ गौड़ पहुँचा तो उसे वहाँ चारों ओर लाशों के ढेर उजाड़ दिखाई दिया। हुमायूँ ने इस स्थान का नाम जन्नताबाद रख दिया।

चौसा का युद्ध

बंगाल से लौटते समय हुमायूँ एवं शेरखाँ के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 26 जून, 1539 को युद्ध हुआ जिसमें हुमायूँ की बुरी तरह पराजय हुई। अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में शेरखाँ ने शेरशाह की उपाधि धारण की।

बिलग्राम का युद्ध

17 मई, 1540 में कन्नौज के निकट बिलग्राम के युद्ध में हुमायूँ पुनः परास्त हो गया। यह युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध था। लड़ाई में हुमायूँ के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे।

इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर अफगानों के हाथ में आ गई। हुमायूँ ईरान की ओर पलायन कर गया। अपने पंद्रह वर्ष के निर्वासन काल के दौरान ही हुमायूँ ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदाबानो बेगम से 29 अगस्त, 1541 को विवाह किया।

बहादुरशाह से संघर्ष

गुजरात के शासक बहादुरशाह ने तुर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खाँ की सहायता से एक अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया था। हुमायूँ ने 1535-36 ई. में बहादुरशाह पर आक्रमण कर दिया, बहादुरशाह पराजित हुआ। हुमायूँ ने माण्डू और चम्पानेर के किलों को जीत लिया।

हुमायूँ द्वारा पुनः राज्य प्राप्ति

हुमायूँ कई वर्षों तक सिंध, राजस्थान में भटकता रहा। 1543 ई. में वह ईरान गया और शिया बनने की शर्त पर ईरान के शाह से सैन्य सहायता प्राप्त की। 1545 ई. में हुमायूँ ने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। हिंदुस्तान पर पुनः अधिकार करने के लिए हुमायूँ ने 5 दिसंबर, 1554 को पेशावर तथा लाहौर पर अधिकार कर लिया।

15 मई 1555 में मुगलों एवं अफगान सरदार नसीब खाँ एवं तातार खाँ के नेतृत्व में मच्छीवारा युद्ध के फलस्वरूप सम्पूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। भारत विजय के अपने अगले अभियान में हुमायूँ की सेना और अफगानों की सेना के बीच सरहिन्द नामक स्थान पर 22 जून, 1555 को युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी वह विजयी रहा।

इस प्रकार 23 जुलाई, 1555 में हुमायूँ एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठे, किन्तु वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका। दिल्ली में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जनवरी, 1555 में उसकी मृत्यु हो गई। लेनपूल ने कहा है, 'हुमायूँ जिंदगी भर लुढ़कता रहा और अंततः लुढ़ककर ही मर गया।'

शेरशाह सूरी (1542-1545 ई.)

शेरशाह का जन्म 1472 ई. में बैजवाड़ा (होशियारपुर) नामक स्थान पर हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सुबेदार बहार खाँ लोहनी ने उसे 'शेरखाँ' उपाधि दी थी। बहार खाँ लोदी की मृत्यु के उपरांत शेरखाँ ने उसकी विधवा 'दूबू बेगम' से विवाह कर दक्षिण बिहार पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया।

शेरशाह ने चौसा (1539) व बिलग्राम (कन्नौज 1540 ई.) में हुमायूँ को परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। अंततः उसने 1540 ई. में उत्तर भारत में सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की।

1544 ई. में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। जहाँ जयता और कुप्पा नामक राजपूत सरदारों ने अफगान सेना को हरा दिया। 1545 ई. में शेरशाह ने अपना अंतिम आक्रमण कलिंगर के शासक कीरतसिंह के विरुद्ध किया। इसी अभियान के समय उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते वक्त गोले के फट जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र जलाल खाँ इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। आठ वर्ष (1545-1553 ई.) तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसकी बाद सूर वंश का तेजी से पतन हुआ।

शेरशाह कालीन प्रशासन

केंद्रीय प्रशासन

शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान था और शक्तियाँ उसी में निहित थीं। केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए निम्नलिखित विभाग स्थापित किये गये थे:

मंत्री/विभागीय व्यवस्था

दीवाने-विजारत—लगान निर्धारण व आय-व्यय निरीक्षक

दीवाने आरिज—सेना संगठन व भर्ती करने वाला

दीवाने रसालत—राज्यों से पत्र-व्यवहार करने वाला

दीवाने इंशा—सुल्तान के आदेशों का लेखांकन करने वाला

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विभाग भी थे। जैसे-दीवान-ए-कजा (न्याय विभाग), जिसका प्रधान मुख्य काजी होता था। गुप्तचर विभाग को दीवान-ए-बरीद कहा जाता था, जिसका प्रमुख बरीद-ए-ममालिक था। शाही परिवार के प्रभारी अधिकारी को दीवान-ए-समन कहा जाता था।

सरकारों (जिलों) का शासन

शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था बंगाल सूबे को 19 सरकारों में बाँट दिया गया था। प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी (शिकदार) के नियंत्रण में छोड़ दिया गया था। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर-ए-बंगाल की नियुक्ति की जाती थी। इसके शासन में शिकदार-ए-शिकदारान एक सैनिक अधिकारी होता था। यह सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। मुन्सिफ-ए-मुन्सिफरान मुख्यतः एक न्यायिक अधिकारी था।

परगने का शासन

प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित होता था। प्रत्येक परगने में एक शिकदार, एक मुन्सिफ, एक फोटदार (खजौंची) तथा दो कारकून होते थे। मुन्सिफ का कार्य दीवानी मुकदमों का निर्णय करना तथा भूमि की नाप एवं लगान की व्यवस्था करना था।

ग्राम प्रशासन

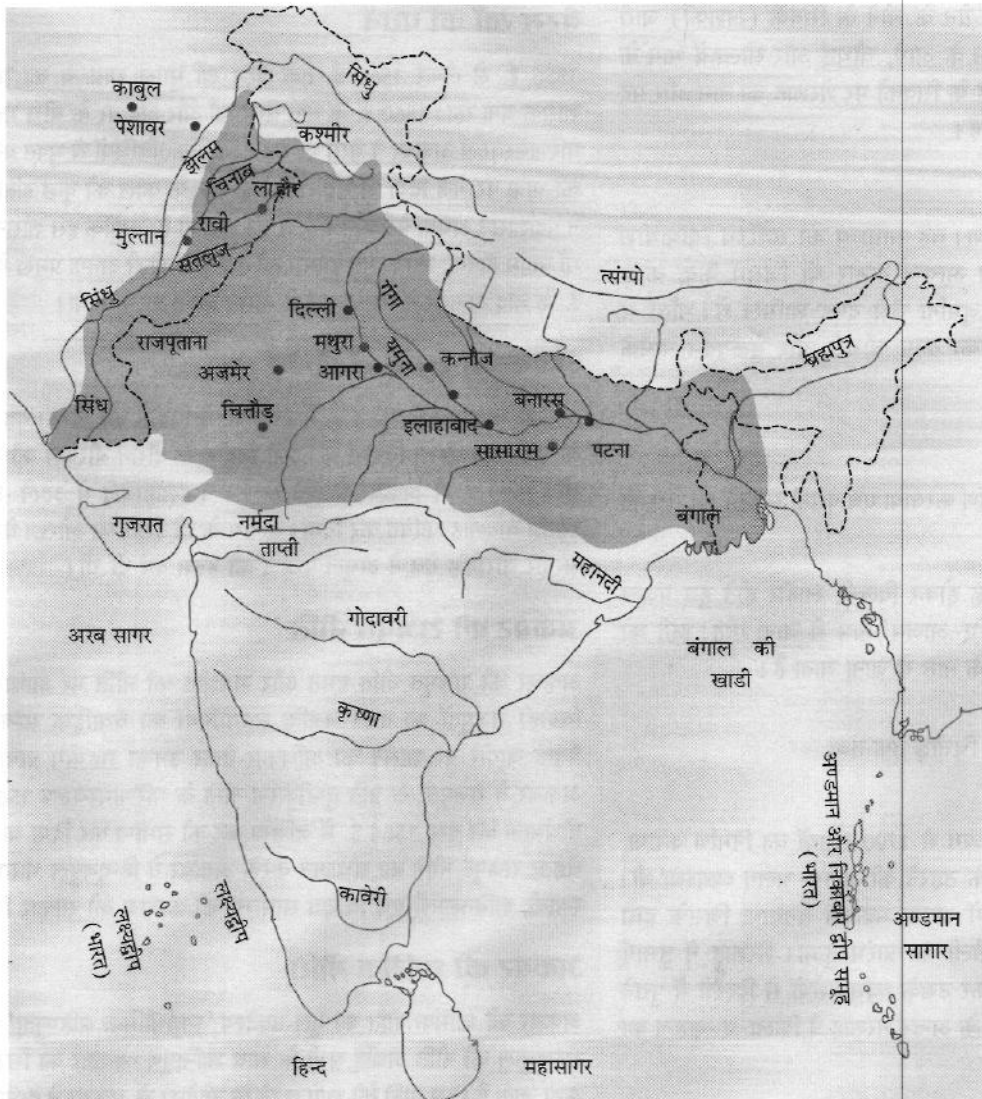
शेरशाह ने गाँव की परम्परागत व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं की। गाँव के परम्परागत मुखिया, चौकीदार, पटवारी को सरकार स्वीकार करती थी। ग्राम पंचायत ही गाँव की सुरक्षा, शिक्षा और सफाई आदि की व्यवस्था करती थी।

सैन्य प्रशासन

शेरशाह ने सैनिक को नकद वेतन दिया यद्यपि सरदारों को जागीरें दी जाती थीं। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखे जाने की प्रथाओं को लागू किया था।

भू-राजस्व प्रशासन

केंद्रीय सरकार की आय के मुख्य स्रोत लगान, लावारिस सम्पत्ति, व्यापार कर, टकसाल, नामक कर आदि थे। स्थानीय आय जिसे कई प्रकार के करो से एकत्र किया जाता था, उसे आबवाब कहा जाता था। शेरशाह की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था, जिसे लगान कहा जाता था। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था मुल्तान को छोड़कर राज्य के सभी भागों में लागू थी। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को तीन श्रेणियों में विभाजित किया—अच्छी, मध्यम और खराब।



चित्र 12.1: शेरशाह सूरी का साम्राज्य

शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः तीन प्रकार की प्रणालियाँ अपनाई—

1. गलाबख्शी अथवा बटाई
2. नश्क या मुक्ताई अथवा कनकूत
3. नकदी अथवा जब्ती

भूमि कर निर्धारण के लिए शेरशाह ने राई (फसल दरों की सूची) को लागू करवाया। शेरशाह ने भूमि कि किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया और उसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया। शेरशाह के समय लगान नकद या जिंस (अनाज) दोनों रूपों में देने की छूट थी।

मालागुजारी (लगान) के अतिरिक्त किसानों को जरीबाना (सर्वेक्षण-शुक्ल) एवं महासिलाना (कर-संग्रह शुल्क) नामक कर भी देने पड़ते थे, जो क्रमशः भू-राजस्व का 2.5% एवं 5% होता था। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिससे उनको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था। किसान कबूलियत-पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकन्दरी गज एवं 'सन की डण्डी' का प्रयोग करवाया। माप की इकाई के लिए शेरशाह ने जरीब का प्रयोग किया।

मुद्रा व्यवस्था

शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यन्त विकसित थी। उसने पुराने धिसे-पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध-चाँदी का रूपया (180 ग्रेन) और ताँबे का दाम

(322 ग्रेन) चलाया। उसने 167 ग्रेन के सोने के सिक्के (अशफ़ी) जारी किए। इसके अतिरिक्त उसने दाम के आधे, चौथाई और सोलहवें भाग के भी अनेक सिक्के चलाए। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में मिलते हैं।

न्याय व्यवस्था

शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। वह साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था। शेरशाह की न्याय व्यवस्था अत्यन्त कठोर थी जिसमें कैद, कोड़े से पीटना, अंग-विच्छेदन तथा जुर्माना जैसे दण्ड शामिल थे। गाँवों में कानून-व्यवस्था स्थापित करने का काम चौधरी और मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया करते थे।

निर्माण कार्य

शेरशाह ने अनेक सड़कों का निर्माण करवाया एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई।

- बंगाल में सोनारगाँव से शुरू होकर दिल्ली, लाहौर होते हुए पंजाब में अटक तक इसे 'सड़क-ए-आजम' नाम से जाना गया। इसी को कालांतर में ग्रेण्ड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है।
- आगरा से बुरहानपुर तक।
- आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक तथा
- लाहौर से मुल्तान तक।

शेरशाह ने शिकदारों के माध्यम से 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिनमें हिन्दुओं और मुसलमानों के ठहरने की अलग-अलग व्यवस्था थी। शेरशाह ने बिहार के सासाराम में अपना मकबरा बनवाया जिसके द्वारा स्थापत्य कला की एक नवीन शैली का प्रारंभ हुआ। शेरशाह ने हुमायूँ द्वारा निर्मित दीनपनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंसावशेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। किले के अन्दर शेरशाह ने किला-ए-कुहना का निर्माण करवाया।

अकबर (1556-1605 ई.)

जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म अमरकोट (सिन्ध के थार जिले में) के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर, 1542 को हुआ। अकबर की माता का नाम हमीदाबानू बेगम था।

अकबर का राज्याभिषेक बैरम खाँ की देख-रेख में पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी, 1556 को हुआ था। 1556 ई. में अकबर ने बैरम खाँ को अपना वकील (वजीर) नियुक्त कर उसे खान-ए-खाना की उपाधि प्रदान की थी। बैरम खाँ फारस के शिया सम्प्रदाय से संबंधित था।

पानीपत का द्वितीय युद्ध (1556 ई.)

पानीपत का द्वितीय युद्ध (5 नवम्बर, 1556) को बैरम खाँ के नेतृत्व में ही लड़ा गया। यह युद्ध मोहम्मद आदिलशाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू व मुगल सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में हेमू की पराजय हुई।

बैरम खाँ का पतन

1556 ई. से लेकर 1560 ई. तक बैरम खाँ मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासक बना रहा। 1560 ई. के बाद बैरम खाँ और अकबर के बीच मतभेदों के परिणामस्वरूप अकबर ने बैरम खाँ को दरबारी गतिविधियों से मुक्त कर मक्का की यात्रा पर भेज दिया। 1560-1562 ई. तक के काल को कुछ इतिहासकारों ने पर्दाशासन अथवा पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी है, क्योंकि इस शासन में धाय माँ महाम अनगा, उसका पुत्र आधम खाँ तथा पुत्री जीजी अनगा प्रमुख थे। 1562 ई. के बाद अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ किया।

अकबर के समय में विद्रोह

अकबर के समय में 1564 ई. में उजबेकों ने विद्रोह कर दिया। यह अकबर के समय का पहला विद्रोह था। इसी विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई थी। 1599 ई. में अकबर के पुत्र सलीम ने इलाहाबाद में अपने-आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। सलीम के ही इशारे पर ओरछा के बुन्देला सरदार वीरसिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी।

अकबर की राजपूत नीति

अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति पर आधारित थी। विद्रोही राजपूतों का दमन जबकि सहयोगियों को वैवाहिक सम्बन्ध तथा पैतृक जागीर पर शासन का अधिकार देकर उनका सहयोग प्राप्त किया। अकबर ने राजपूतों के प्रति तुष्टीकरण नीति के परिणामस्वरूप 1563 ई. में तीर्थयात्रा कर तथा 1564 ई. में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अपनी बेहतर राजपूत नीति का संचालन करके अकबर ने हिन्दूबहुल भारत में एक स्थायी, शक्तिशाली एवं विस्तृत साम्राज्य की कल्पना को साकार किया।

अकबर की धार्मिक नीति

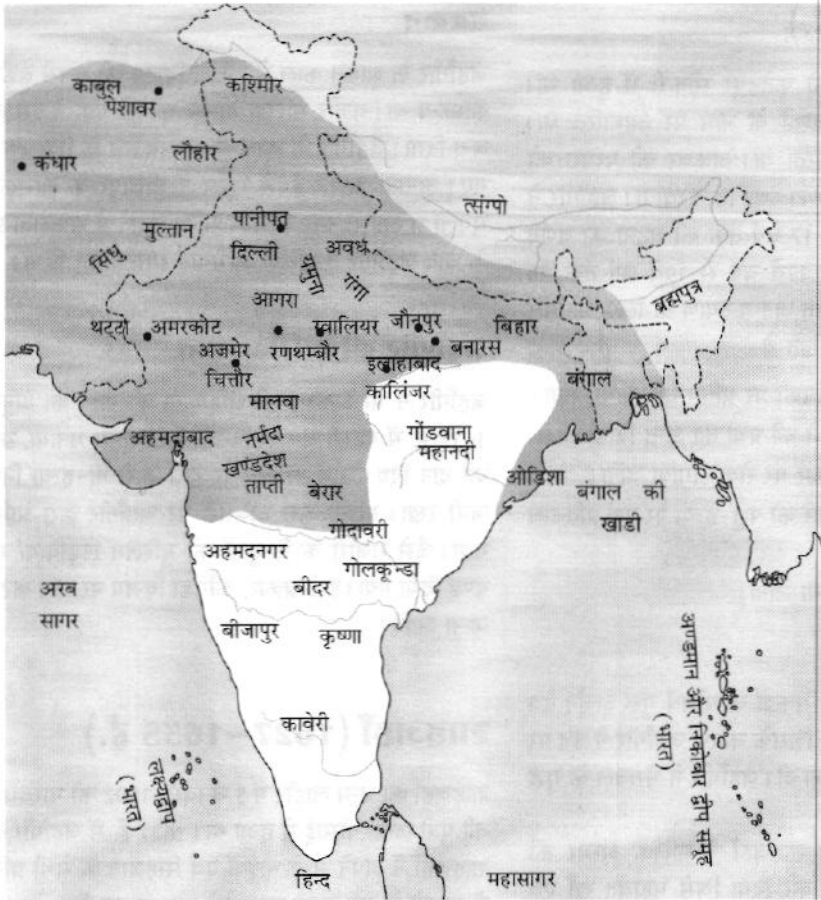
अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य 'सार्वभौमिक सहिष्णुता' थी। इसे सुलहकुल की नीति अर्थात् सभी के साथ शान्तिपूर्ण व्यवहार का सिद्धान्त भी कहा जाता है। इस नीति को लागू करने के उद्देश्य से अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री विषयों पर वाद-विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादतखाना (प्रार्थना-भवन) निर्माण 1575 ई. में कराया। अकबर प्रारंभ में इबादतखाने में केवल इस्लाम धर्मोपदेशकों को ही आमंत्रित करता था, किन्तु बाद में उनके आचरण से दुःखी होकर 1578 ई. में सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित करने लगा अर्थात् उसे धर्मसंसद बना दिया।

मजहर की घोषणा

अकबर ने 1579 ई. में महजरनामा या एक घोषणा जारी करवाई जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। 'महजर' का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। महजर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान-ए-आदिल या इमाम-ए-आदिल (न्यायप्रिय शासक) की उपाधि धारण की।

दीन-ए-इलाही/तौहीद-ए-इलाही

अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ई. में तौहीद-ए-इलाही (दैवी एकेश्वरवाद) या दीन-ए-इलाही नामक एक नया



चित्र 12.2: अकबर का साम्राज्य

धर्म प्रवर्तित किया। इस नवीन धर्म में दीक्षा के लिए इतवार का दिन निश्चित किया गया था और इस दीक्षा के दौरान व्यक्ति को अकबर का प्रिय उद्धोषित अल्लाहो-उ-अकबर कहना पड़ता था। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था एवं हिन्दुओं में केवल बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया था।

विभिन्न धर्मों के प्रति अकबर का दृष्टिकोण

अकबर ने सभी धर्मों व सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। उसने अपनी सहिष्णुता की भावना के कारण अपने शासनकाल में आगरा एवं लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठलनाथ तथा पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहर राणा को वित्तीय सहायता प्रदान दी। जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरि को जगतगुरु तथा जिनचन्द्र सूरि को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी।

अकबर ने 1584 ई. में एक नए कैलेण्डर इलाही सम्वत् को जारी किया। अकबर ने इसे हिजरी सम्वत् के स्थान पर जारी किया था। अकबर ने 'झरोखा दर्शन', 'तुलादान' तथा 'पायबोस' जैसी पारसी परंपराओं को

आरंभ किया। अकबर ने सिक्खों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की। अकबर ने सिक्ख गुरु रामदास को 1577 ई. में 500 बीघा जमीन प्रदान की जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। बाद में इसी जमीन पर अमृतसर की स्थापना की गयी।

अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेस्सुइट मिशन तीन बार आया था। अकबर के दरबार में 1580 ई. में (फतेहपुर सीकरी) आने वाले प्रथम जेस्सुइट मिशन का नेतृत्व फादर एकावीवा ने किया था। अकबर ने सती-प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की, शराब की बिक्री पर रोक लगाई तथा लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु 16 और 14 वर्ष निर्धारित की।

अकबर के दरबार में नौ रत्न थे—

1. अबुल फजल
2. फैजी
3. बीरबल
4. तानसेन
5. अबदुरहीम खानखाना
6. टोडरमल
7. राजा मानसिंह
8. मुल्ला दो प्याजा
9. हकीम हुमाम

जहाँगीर (1605-1627 ई.)

जहाँगीर का जन्म 30 अगस्त, 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इसका नाम सूफी सन्त शेख सलीम चिश्ती के नाम पर आधारित था। अकबर प्यार से उसे शेखुबाबा भी पुकारता था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहाँगीर ने न्याय का घण्टा स्थापित करवाया। जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा *तुजुक-ए-जहाँगीरी* में 17 वर्ष तक की घटना का वर्णन किया है। इसके पश्चात् मुतदिक खाँ ने 17वें वर्ष से 19वें वर्ष तक का विवरण लिखा है। शासक बनने के पश्चात् जन कल्याण के लिए जहाँगीर ने 12 आदेश दिए, जिनमें मुख्य निम्नलिखित थे—

- शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाना।
- दण्डस्वरूप नाक एवं कान को काटने की प्रथा का अन्त किया जाना।
- किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार पर रोक लगाया जाना।
- सप्ताह के दो दिन गुरुवार एवं रविवार को पशु-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध रूप से रोक लगाया जाना।
- 'ऐम्मा'—भूमि का प्रमाणीकरण किया जाना।

जहाँगीर कालीन विद्रोह

जहाँगीर के शासनकाल में पहला विद्रोह सिक्खों के पाँचवें गुरु अर्जुन देव के सहयोग से खुसरो द्वारा किया गया था, जिसके कारण जहाँगीर ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फाँसी की सजा दी। जहाँगीर ने भेरावल के युद्ध में खुसरो को पराजित कर मार डाला।

नूरजहाँ के बढ़ते प्रभाव के कारण शाहजहाँ ने मलिक अम्बर की सहायता से जहाँगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया जिसे महावत खाँ एवं परवेज ने दबा दिया।

जहाँगीर के खिलाफ 1626 ई. में महावत खाँ ने विद्रोह कर दिया। उसने जहाँगीर के शाही शिविर को झेलम के तट पर अपने नियंत्रण में ले लिया, किन्तु नूरजहाँ ने कूटनीति से महावत खाँ के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। महावत खाँ को भाग कर दक्षिण में शरण लेना पड़ा तथा वह शाहजहाँ के पक्ष में हो गया।

साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण और विस्तार (Establishment and Expansion of the Empire)

मेवाड़

जहाँगीर ने सर्वप्रथम मेवाड़ पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए 1608 ई. में महावत खाँ, 1609 ई. में अब्दुल खाँ तथा 1613 ई. में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान मेवाड़ भेजे। फलस्वरूप 1615 ई. में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक सन्धि हो गई।

कन्धार

'भारत का सिंह द्वार' कहे जाने वाले तथा व्यापार एवं सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रान्त कन्धार को 1606-07 ई. में जीत लिया, किन्तु शीघ्र ही यह प्रान्त स्वतंत्र हो गया।

दक्कन

जहाँगीर के शासन काल में दक्षिण विजय की सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर साम्राज्य था। वजीर मलिक अम्बर की योग्यता ने इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। जहाँगीर के काल में अहमदनगर के खिलाफ कई अभियान भेजे गए। अन्ततः 1617 ई. में खुर्रम ने बीजापुर के शासक की मध्यस्थता से मुगलों व अहमदनगर के मध्य सन्धि कराने में सफलता प्राप्त की। 1621 ई. के बाद जहाँगीर ने दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया।

जहाँगीर की धार्मिक नीति

जहाँगीर ने भी अकबर की सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। उसने 1612 ई. में पहली बार रक्षाबन्धन का त्यौहार मनाया, ब्राह्मणों और मन्दिरों को दान दिए। साथ ही अकबर द्वारा जारी गौ-हत्या निषेध की परंपरा को जारी रखा। यद्यपि कुछ अवसरों पर जहाँगीर द्वारा धार्मिक पक्षपात किया गया। जैसे राजौरा के हिन्दुओं को मुस्लिम लड़कियों से विवाह करने पर दण्ड दिया गया। इसी प्रकार, काँगड़ा विजय पर गाय कटवाकर जश्न मनाया जाना आदि।

शाहजहाँ (1627-1658 ई.)

शाहजहाँ का जन्म लाहौर में 5 जनवरी, 1592 को मारवाड़ के राजा उदयसिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। 1627 ई. में जहाँगीर की मृत्यु के पश्चात् शाहजहाँ ने अपने सभी भाइयों एवं सिंहासन के सभी प्रतिद्वन्द्वियों तथा अन्त में खुसरो के पुत्र दावर बख्श को समाप्त कर दिया तथा 24 फरवरी, 1628 को आगरा में सिंहासन पर आसीन हो गया।

शाहजहाँ का विवाह 1612 ई. में आसफ खाँ की पुत्री अर्जुमन्द बानू बेगम से हुआ था, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। शाहजहाँ ने मुमताज की मृत्यु के बाद आगरा में उसके शव को दफनाकर उसकी याद में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण कराया।

शाहजहाँ के अन्तिम आठ वर्ष आगरा के किले के शाहबुर्ज में एक बन्दी की तरह व्यतीत हुए। इस समय उसकी बड़ी पुत्री जहाँआरा ने साथ रहकर उसकी सेवा की थी। शाहजहाँ की मृत्यु 1666 ई. में हुई और उसे भी ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के निकट साधारण नौकरों द्वारा दफना दिया गया।

शाहजहाँ कालीन विद्रोह

शाहजहाँ के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 ई. में बुन्देला सरदार जुझार सिंह ने किया। उसके द्वारा एकत्रित करों की जाँच के आदेश पर वह मुगल दरबार से भाग गया। अतः शाहजहाँ के समय का पहला सैनिक अभियान बुन्देलों के खिलाफ किया गया।

शाहजहाँ के शासनकाल में दूसरा विद्रोह उसके एक योग्य एवं सम्मानित अफगान खान-ए-जहाँ लोदी ने किया था। इसने बुन्देला विद्रोह दबाने में शाहजहाँ को सहायता की किन्तु वह शाहजहाँ से असन्तुष्ट रहा और शीघ्र ही स्वयं विद्रोह कर दिया।

मुगल बादशाहों ने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एकाधिकार दे दिया था, किन्तु पुर्तगालियों की उद्वेगिता के कारण शाहजहाँ ने 1632 ई. में उनके व्यापारिक केन्द्र हुगली पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया।

शाहजहाँ का एक बाज उड़कर गुरु (हरगोविन्द) के खेमे में चला गया और जिसे गुरु ने देने से इनकार कर दिया था, जिससे दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया। मुगलों और सिक्खों के बीच दूसरा झगड़ा गुरुद्वारा श्री गोविन्दपुर नामक एक नगर बसाने को लेकर शुरू हुआ जिसे मुगलों के मना करने के बावजूद गुरु जी ने बन्द नहीं किया था।

साम्राज्य का विस्तार

अकबर व जहाँगीर की तरह साम्राज्यवादी नीति को शाहजहाँ ने भी आगे बढ़ाया। इसके अलावा दक्षिणी राज्य सदैव ही मुगल विद्रोहियों की शरण स्थली रहे थे। अतः शाहजहाँ के काल में भी दक्षिण भारत पर अधिपत्य हेतु कई अभियान भेजे गए।

दक्कन

शाहजहाँ ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम महावत खाँ के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ई. में उसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया तथा अन्तिम निजामशाही सुल्तान हुसैनशाह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया।

अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के उपरान्त शाहजहाँ ने गोलकुण्डा पर दबाव डाला। गोलकुण्डा के शासक कुतबशाह ने भयभीत होकर 1636 ई. में मुगलों से सन्धि कर लिया।

1636 ई. में शाहजहाँ ने बीजापुर पर आक्रमण किया और मोहम्मद आदिलशाह प्रथम को सन्धि करने के लिए बाध्य कर दिया। फलस्वरूप सुल्तान ने 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर के रूप में देना स्वीकार किया।

कन्धार व मध्य एशिया

जहाँगीर के समय में 1622 ई. में कन्धार मुगलों के अधिकार से निकल गया था, किन्तु शाहजहाँ के कूटनीतिक प्रयास से असन्तुष्ट किलेदार अलीमर्दन खाँ ने 1639 ई. में यह किला मुगलों को सौंप दिया था। 1648-49 ई. में कन्धार का यह किला मुगलों के हाथ से निकल गया और उसके बाद मुगल बादशाह पुनः इस पर कभी अधिकार नहीं कर सके।

शाहजहाँ की धार्मिक नीति

शाहजहाँ अकबर एवं जहाँगीर की तुलना में धार्मिक दृष्टि से अधिक कट्टर था। उसने नवीन मन्दिरों के निर्माण पर रोक लगाई तथा तीर्थयात्रा कर पुनः लागू कर दिया। उसने हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक विभाग की स्थापना की तथा अपने शासन के सातवें वर्ष यह निर्णय दिया कि धर्मान्तरण करने के बाद भी व्यक्ति को उसकी पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकार मिलेगा।

शाहजहाँ ने इलाही सम्वत् को समाप्त कर पुनः हिजरी संवत् प्रारंभ किया। दरबार में सिजदा और पायवोस की प्रथा समाप्त कर, उसके स्थान पर 'चहार तस्लीम' प्रणाली प्रारंभ की। ईसाई धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई।

औरंगज़ेब (1658-1707 ई.)

औरंगज़ेब का जन्म 3 नवम्बर, 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहाँ की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था, लेकिन उसके बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता था। 18 मई, 1637 को औरंगज़ेब का विवाह फारस राज घराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम (रबिया बीबी) से हुआ था। साम्राज्य पर अपनी दावेदारी के लिए औरंगज़ेब को पाँच युद्ध लड़ने पड़े—

1. बहादुरपुर का युद्ध, जनवरी, 1658 (शाही सेना और शाहशुजा के बीच)
2. धरमत का युद्ध, अप्रैल, 1658 (औरंगज़ेब और शाही सेना के बीच)
3. सामूगढ़ का युद्ध, मई, 1658 (औरंगज़ेब और शाही सेना के बीच)
4. खजवा का युद्ध, जनवरी, 1659 (औरंगज़ेब और शाहशुजा के बीच)
5. देवराई का युद्ध अप्रैल, 1659 (औरंगज़ेब और दारा के बीच)

सामूगढ़ की विजय के उपरान्त एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात् औरंगज़ेब ने 21 जुलाई, 1658 को अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। खजवा और देवराई के युद्ध में क्रमशः शुजा और दारा को अन्तिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः 5 जून, 1659 को दिल्ली में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया।

साम्राज्य विस्तार

औरंगज़ेब को विरासत में एक विशाल साम्राज्य मिला। उसके शासनकाल में पूर्वी तथा दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग सभी मुगलों का आधिपत्य स्वीकारते थे। अतः औरंगज़ेब ने 1660 ई. में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर उसे पूर्वी प्रान्तों विशेषतः असम और अराकान के विद्रोही जमींदारों का दमन करने का आदेश दिया। 1663 ई. में अहोमों को सन्धि करने के लिए विवश कर दिया जिसके फलस्वरूप अहोमों ने मुगलों को वार्षिक कर तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया।

शाइस्ता खाँ ने 1666 ई. में पुर्तगालियों को दण्ड दिया, बंगाल की खाड़ी में स्थित सोनद्वीप पर अधिकार कर लिया तथा अराकान के राजा से चटगाँव जीत लिया।

दक्कन

औरंगज़ेब द्वारा दक्षिण में लड़े गए युद्धों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—बीजापुर एवं गोलकुण्डा के विरुद्ध युद्ध एवं विलय तथा मराठों की चार पीढ़ियों शिवाजी (1640-80), शम्भा जी (1680-89), राजाराम (1689-1700) एवं उसकी विधवा ताराबाई (1700-1707) के विरुद्ध युद्ध।

बीजापुर के अन्तिम आदिलशाही सुल्तान सिकन्दर आदिलशाह ने औरंगज़ेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अंततः बीजापुर राज्य (22 सितम्बर, 1686) मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। बीजापुर को साम्राज्य में मिलाने के बाद औरंगज़ेब ने 1686 ई. में शाहजादा शाहआलम को गोलकुण्डा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अक्टूबर, 1687 में गोलकुण्डा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया।

मराठों से संघर्ष

शिवाजी को दण्डित करने के लिए औरंगजेब ने 1660 ई. में शाइस्ता खाँ को तथा 1665 ई. में राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को पराजित कर 22 जून, 1665 को उन्हें पुरन्दर की सन्धि करने के लिए बाध्य कर दिया। शिवाजी की मृत्यु के बाद शम्भा जी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अपनी असावधानी के कारण शम्भा जी को 1689 ई. में पकड़ लिया गया तथा उसका कत्ल कर दिया गया। शम्भाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतले भाई राजाराम के नेतृत्व में मराठों का मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा, जिसे मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है।

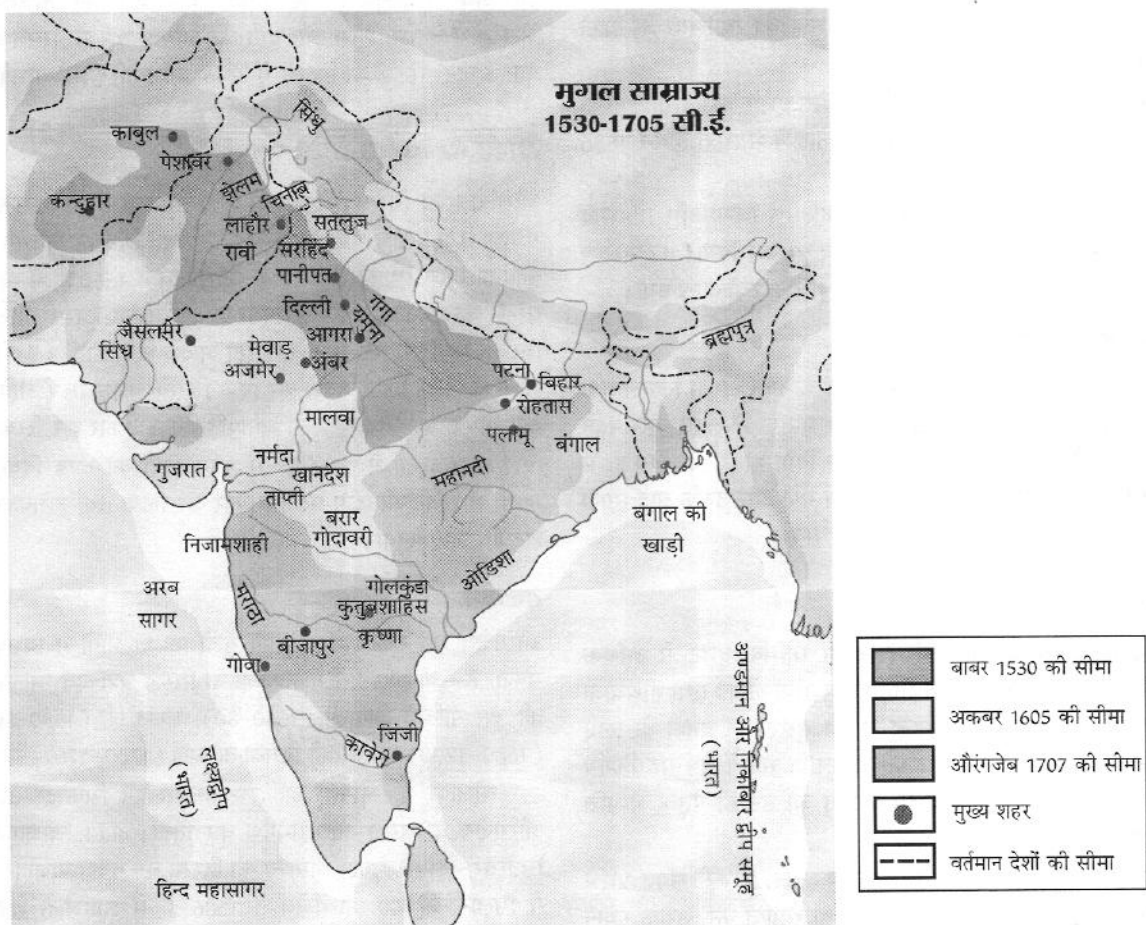
औरंगजेब की धार्मिक नीति

औरंगजेब एक कट्टर एवं रूढ़िवादी मुसलमान था। इस्लामी कानूनों को दृढ़ता से मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिन्दा पीर तथा शाही दरवेश के रूप में जाना जाता था।

औरंगजेब ने प्रारंभ से ही अपनी कट्टरता का परिचय देते हुए अपने सिक्कों पर कलमा (कुरान की आयतें) खुदवाना, पारसी नववर्ष नौरोज का आयोजन, सार्वजनिक संगीत समारोहों, भाँग उत्पादन, शराब पीने तथा जुआ खेलने आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिया। उसने 1663 ई. में सती-प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा हिन्दुओं पर तीर्थयात्रा कर आरोपित किया। 1679 में हिन्दुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने मुहत्सिब (सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक या धर्म अधिकारी) नामक एक अधिकारी की नियुक्ति भी की थी।

औरंगजेब की राजपूत नीति

औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई एवं जहाँगीर तथा शाहजहाँ द्वारा अनुसरण की गई राजपूत नीति में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि वह राजपूतों को अपनी धार्मिक नीति के कार्यान्वयन होने में सबसे बड़ी बाधा मानता था, हालाँकि औरंगजेब के समय हिन्दू मनसबदारों की संख्या 33% थी, जबकि शाहजहाँ के समय में यह मात्र 24.7% थी।



चित्र 12.3: 1707 का भारत

औरंगजेब के समय आमेर (जयपुर) के राजा जयसिंह, मेवाड़ के राजा राजसिंह और जोधपुर के राजा जसवन्त सिंह प्रमुख राजपूत राजा था। 1679 ई. में अफगानिस्तान की सीमा पर हुए जमरूद के युद्ध में जसवन्त सिंह की मृत्योपरान्त उसके पुत्र अजीत सिंह के राजगद्दी पर वैध अधिकार को अमान्य करके औरंगजेब मारवाड़ को हथिया लेना चाहता था।

जब दुर्गादास (जसवन्त सिंह का सेनापति) ने औरंगजेब से अजीत सिंह के वैध अधिकार की माँग की तब औरंगजेब ने यह शर्त रखी कि यदि अजीत सिंह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, तो उसे मारवाड़ का सिंहासन दे दिया जाएगा, किन्तु अजीत सिंह ने इससे इनकार कर दिया।

मारवाड़ और मुगलों के बीच लगभग 30 वर्षों तक युद्ध जारी रहा। अन्ततः 1709 ई. में सम्राट बहादुरशाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा स्वीकार कर लिया। औरंगजेब की राजपूत नीति असफल रही। औरंगजेब न तो पूर्णतः मेवाड़ और मारवाड़ को ही दबा सका, और न ही बहादुर एवं विश्वसनीय मित्र राजपूतों को साथ रख सका।

औरंगजेब के काल में हुए विद्रोह

जाटों का विद्रोह

1669 ई. से 1688 ई. के बीच मथुरा और आगरा क्षेत्र में बसे जाटों ने गोकुला, राजाराम और चुरामन के नेतृत्व में विद्रोह किया।

सतनामी विद्रोह

सतनामी एक सम्प्रदाय था। 1672 ई. में नारनौल नामक स्थान पर मुगलों और किसानों के बीच संघर्ष हुआ जिसका नेतृत्व सतनामियों ने किया।

अफगान विद्रोह

1667 ई. से 1675 ई. के बीच अफगान क्षेत्र के कबीले के लोगों ने भागू और अकमल खाँ के नेतृत्व में विद्रोह किया।

बुन्देलों का विद्रोह

मधुकरशाह, चम्पतराय और उसके पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया।

सिक्ख विद्रोह

औरंगजेब के खिलाफ सिक्खों का प्रत्यक्ष विद्रोह गुरु तेग बहादुर को फाँसी दिये जाने के बाद शुरू हुआ। गुरु गोविन्द सिंह ने औरंगजेब की धर्मान्ध नीति के खिलाफ पुरजोर विरोध किया। उन्होंने सिक्खों के एक धार्मिक सम्प्रदाय को लड़ाकू एवं सैनिक सम्प्रदाय में बदल दिया।

अन्य विद्रोह

शाहजादा अकबर ने 1681 ई. में विद्रोह कर अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। 1686 ई. में औरंगजेब ने पुर्तगालियों के विद्रोह को दबाया।

मुगल प्रशासन

मुगलों के राजत्व की अवधारणा तुर्की मंगोल परम्परा पर आधारित थी। मुगल शासकों द्वारा स्वयं को खलीफा घोषित करना उनकी विदेशी नीति की भी मजबूती थी, क्योंकि ऐसा न करने पर वे पश्चिम में सफवी साम्राज्य एवं उजबेग साम्राज्य से समानता के स्तर पर व्यवहार नहीं कर पाते।

केन्द्रीय प्रशासन

मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केन्द्रीकृत व्यवस्था थी, जो नियंत्रण एवं सन्तुलन पर आधारित थी। मुगल बादशाह अपने साम्राज्य का सर्वोच्च होता था। वह दैवीय अधिकारों से सम्पन्न माना जाता था। इसमें भारतीय तथा गैर-भारतीय (विदेशी) तत्वों का सम्मिश्रण था।

मुगल बादशाह

मुगल बादशाह राज्य का प्रधान होता था। वह प्रशासन का केन्द्र बिन्दु, सर्वोच्च सेनापति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश था। मुगल साम्राज्य चूँकि पूर्णतः केन्द्रीकृत था इसलिए बादशाह की शक्ति असीम होती थी। लेकिन प्रशासन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी।

वजीर/वकील

वकील या वजीर सम्पूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण करता था और बादशाह इसके माध्यम से ही अन्य अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करता था। अकबर के काल में मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाने लगा। बैरम खाँ इस पद पर अधिक शक्तिशाली होने तथा कुछ अन्य कारणों से अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष एक नया पद दीवान-ए-वजारत-ए-कुल की स्थापना। वकील पद को केवल सम्मानसूचक बना दिया। अन्य केन्द्रीय अधिकारियों में मीर बख्शी, मीर-ए-सामाँ, सद्र-उस-सुदुर, मुख्य काजी, मुहत्तसिब प्रमुख थे।

मीरबख्शी

मीरबख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था। इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ था। वह मनसबदारों की नियुक्ति की अनुशंसा एवं जागीर की अनुशंसा करता था। मीर बख्शी के द्वारा सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था।

मीर-ए-सामाँ

मीर-ए-सामाँ के पास साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कारखाने के संगठन और प्रबंध का स्वतंत्र प्रभार होता था। उसके अधीन अन्य अधिकारी थे—दीवाने-बयूतात, मुशरिफ, दरोगा और तहसीलदार। औरंगजेब के काल में इसे खाने-सामाँ कहा जाने लगा।

सद्र-उस-सुदूर

यह बादशाह का मुख्य धार्मिक परामर्शदाता तथा धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष था। इसका प्रमुख कार्य दान-पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षण की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्ति भूमि एवं वजीफा

तालिका 12.1: मुगलकालीन उच्चाधिकारी

उच्चाधिकारी	संबंधित विभाग
मीर-आतिश	शाही तोपखाने का प्रधान।
दीवान-ए-तन	वेतन और जागीरों से संबंधित।
दरोग-ए-डाक	चौकी गुप्तचर विभाग का प्रमुख।
मीर-ए-अर्ज	बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन-पत्रों का प्रभारी।
मीर-ए-बहर	जल-सेना का प्रधान।
मीर-ए-तोजक (मीर-ए-तुजुक)	धर्मानुष्ठान का अधिकारी।
मीर-ए-बर्	वन-विभाग का अधीक्षक।
नाजिर-ए-बयूतात (या दीवान-ए-बयूतात)	शाही कारखानों का अधीक्षक।
वाकिया-नवीस	समाचार लेखक, जो राज्य के सारे समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था।
खुफिया-नवीस	गुप्त पत्र-लेखक थे, जो गुप्त रूप से केंद्र को महत्वपूर्ण खबरें उपलब्ध कराते थे।
हरकारा	जासूस और संदेश वाहक।
वितिकची	प्रांतों की भूमि एवं लगान संबंधी कागजात तैयार करता था।
परवानची	ऐसी आज्ञाओं को लिखने वाला, जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।
मुशरिफ (लेखाधिकारी)	यह राज्य की आय-व्यय का लेखा-जोखे की जाँच करने वाला।
मुस्तौफी (लेखा परीक्षक)	यह मुशरिफ द्वारा तैयार आय लेखा-जोखे की जाँच करने वाला।
मुसद्दी	यह बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करने वाला।

(मदद-ए-माश) प्रादन करना तथा इस्लामिक कानूनों के पालन की समुचित व्यवस्था करना था।

मुख्य काजी

यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। इसे काजी-उल-कुज्जात के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के काल से पहले मुख्य सद्र ही इस विभाग का भी अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में शरीयत को लागू करना था।

मुहत्तसिब

यह जनता के नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता था और इस बात का भी ध्यान रखता था कि शरीयत के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, साथ-ही-साथ वह माप-तौल का निरीक्षण, मूल्य नियंत्रण आदि की भी देख-रेख करता था।

प्रान्तीय प्रशासन

मुगलों का प्रान्तीय शासन केन्द्रीय शासन का ही प्रतिरूप था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य को सूबों (प्रान्तों), सूबों को सरकारों (जिलों) में, सरकारों को परगनों (महालों) में तथा परगनों को गाँवों में बाँटा गया था।

प्रान्तीय अधिकारी

सूबेदार

अकबर के काल में प्रान्तीय प्रशासन के मुख्य अधिकारी सिपहसालार कहा जाता था, जिसे उसके उत्तराधिकारियों के समय में नाजिम-ए-सुबा कहा जाने लगा, सूबेदार को संपूर्ण सैनिक एवं असैनिक अधिकार प्राप्त था।

प्रान्तीय दीवान

प्रान्तीय दीवान (दीवान सूबा) सूबेदार से नीचे होता था, किंतु वह सूबेदार (गवर्नर) का मातहत नहीं होता था। वह सीधे शाही दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था। इस प्रकार दीवान और सूबेदार एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते थे।

बख्शी

बख्शी की नियुक्ति केन्द्रीय मीरबख्शी के अनुरोध पर शाही दरबार द्वारा की जाती थी। बख्शी की वाकिया-निगर (वाकियानवीस) के रूप में भी कार्य करना होता था। उस रूप में इसका कार्य सूबे की समस्त जानकारी केंद्र को देना था। प्रान्तीय बख्शी और केन्द्रीय मीरबख्शी में एक अंतर था कि प्रान्तीय बख्शी सेनापति वेतनाधिकारी होता था, जबकि केन्द्रीय मीरबख्शी सेना का वेतनाधिकारी नहीं होता था।

प्रान्तीय सद्र

प्रान्तीय सद्र एवं प्रान्तीय काजी का पद कभी-कभी एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था। अतएव सद्र की दृष्टि से वह प्रजा के नैतिक चरित्र एवं इस्लाम धर्म के कानूनों के पालन की व्यवस्था करता था और काजी की दृष्टि से न्याय करता था। उसे मीर-ए-अदल भी कहा जाता था।

कोतवाल

यह सूबे की राजधानी तथा बड़े-बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करता था।

सरकार (जिले) का प्रशासन

प्रशासनिक सुविधा के लिए सूबों को सरकार में विभाजित किया गया था। मुगलकाल में सरकार (जिलों) में फौजदार, अमलगुजार इत्यादि महत्वपूर्ण

अधिकारी होते थे। मुगलकाल में सरकार (जिले) का मुख्य प्रशासक फौजदार होता था। इसका मुख्य कार्य सरकार (जिले) में कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा चोर-लुटेरों से जनता की रक्षा करना था।

आमिल या अमलगुजार सरकार (जिले) का भू-राजस्व अधिकारी होता था। जिसका कार्य लगान वसूल करना तथा कृषि एवं किसानों दोनों की देखभाल करना था। वह खालिसा भूमि का राजस्व भी एकत्र करता था। कोतवाल की नियुक्ति मीर-आतिश की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। उसका मुख्य कार्य नगर में शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करना, स्वच्छता एवं सफाई की व्यवस्था करना था।

परगने का प्रशासन

सरकार कई परगनों में बाँटा होता था। परगने के प्रमुख अधिकारी शिकदार, आमिल, फोटदार, कानूगों और कारकून होते थे। शिकदार का मुख्य कार्य परगने में शांति व्यवस्था स्थापित करना तथा राजस्व वसूल करवाने में आमिल की मदद करना था।

किसानों से लगान वसूल करना मुख्य कार्य होता था। परगने के खजाँची को फोटदार कहते थे। कारकून परगने के राजस्व का लेखा करने वाला क्लर्क होता था।

ग्राम प्रशासन

मुगल शासक गाँव को एक स्वायत्त संस्था मानते थे, जिसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था। गाँव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुत, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए एक पटवारी होता था।

सैन्य प्रशासन

मुगल सेना का गठन दशमलव प्रणाली पर किया गया था। मुगल सैन्य दल को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था।

1. अधीनस्थ राजाओं की सेनाएँ
2. मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियाँ
3. अहदी सैनिक
4. दाखिली सैनिक (पूरक सैनिक)

अहदी सैनिक बादशाह के सैनिक होते थे और इन्हें एक अलग अमीर और बख्शी के अधीन रखा जाता था। दाखिली इन्हें मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था।

पैदल सेना

मुगलों की पैदल सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे

1. अहशाम सैनिक इसमें बंदूकची, शमशीरबाज और तलवारबाज आदि थे, जो तीर-कमान, भाला, तलवार और कटार आदि हथियारों का प्रयोग करते थे।
2. सेहबंदी सैनिक ये सैनिक बेकार (बेरोजगार) लोगों से लिए जाते थे, जो मालगुजारी वसूल करने में सहायता करते थे।

अश्वारोही सेना

यह सेना मुगल सेना का प्राण मानी जाती थी। इसमें दो प्रकार के घुड़सवार सैनिक थे—

1. बरगीर इनका सारा साज-समान राज्य की ओर से दिया जाता था।
2. सिलेदार इन्हें अपने साज-समान (घोड़े और अस्त्र-शस्त्र) की व्यवस्था स्वयं करनी होती थी। इन्हें केवल युद्ध के अवसर पर ही नियुक्त किया जाता था इनका वेतन बरगीर से अधिक होता था।

हाथी सेना

अकबर ने इसके प्रबंध के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया, जिसे पीलखाना कहा जाता था। अकबर जिन हाथियों का प्रयोग अपनी सेना के लिए करता था, उन्हें खास कहा जाता था।

नौसेना

मुगलकाल में नौसेना का कोई सुव्यवस्थित संगठन नहीं था, अकबर ने एक विभाग स्थापित किया, जिसे नवाड़ा कहा जाता था। इसका प्रमुख अधिकारी मीर-ए-बहर होता था।

तोपखाना

मीर-ए-आतिश मुगल तोपखाने का प्रमुख अधिकारी होता था। मुगल तोपखाने को दो भागों में बाँटा गया था—जिन्सी एवं दस्ती/जिन्सी भारी तोपे होती थीं, जबकि दस्ती हल्की तोपें थीं।

मनसबदारी व्यवस्था

मनसब एक फारसी शब्द है, जिसका अर्थ होता है—‘पद’। मनसबदारी में जात एवं सवार की द्वैध व्यवस्था लागू होती थी। जात मनसबदार के दर्जे तथा वेतन का सूचक था जबकि सवार उस संख्या को प्रदर्शित करता था। जितने घुड़सवार मनसबदार से रखने अपेक्षित थे। जात व सवार के द्वारा ही मनसबदार की हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। जात व सवार के आधार पर मनसबदारों की तीन श्रेणियाँ थीं—

1. पहली श्रेणी सवार रैंक, जात रैंक के बराबर
2. दूसरी श्रेणी सवार रैंक, जात रैंक से आधा या आधे से अधिक
3. तीसरी श्रेणी सवार रैंक, जात रैंक के आधे से कम

अबुल फजल ने आइने अकबरी में 66 मनसबों का उल्लेख किया है, किंतु व्यवहार में 33 मनसब ही प्रदान किए जाते थे।

जहाँगीर ने एक ऐसी प्रथा चलाई, जिसमें बिना जात पद (रैंक) बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने को कहा जाता था। इस प्रथा को सिंह अस्पा एवं द्वि अस्पा कहा जाता था। सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार रैंक के तीन गुने घोड़े रखने होते थे जबकि दुह अस्पा में दुगुने घोड़े रखने होते थे।

जागीरदारी व्यवस्था

मनसबदारों को जब नकद वेतन के बदले किसी भू-क्षेत्र का राजस्व आर्वाटित किया जाता था, तो इसे जागीर कहा जाता था। भू-क्षेत्र से लगान एवं अन्य करों की वसूली का अधिकार होता था। जागीरों को हस्तांतरित किया जा सकता था।

जागीरें कई प्रकार की होती थी, जैसे—जागीर तनख्वाह, मशरूत जागीर (शर्त पर दी गई जागीर), वेतन जागीर, इनाम जागीर (पुरस्कारस्वरूप दी गई जागीर, किंतु प्रशासनिक दायित्व नहीं) अलतमगा जागीर आदि।

मुगलों की न्याय व्यवस्था

मुगल बादशाह स्वयं राज्य का प्रधान न्यायाधीश होता था। बादशाह के बाद काजी मुख्य न्यायाधीश होता था। उसकी सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्ति होते थे, जो कुरान की व्यवस्थाओं की व्याख्या करते थे। काजियों की अदालत में अधिकांशतः धर्म-संबंधी या संपत्ति-संबंधी मुकदमों आया करते थे। अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदू पण्डितों को हिंदुओं के मुकदमों का निर्णय करने के लिए नियुक्त किया था। जहाँगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदुओं के मुकदमों का निर्णय करने के लिए 'जज' नियुक्त किया था।

मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था

मुगलकाल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू-राजस्व था। मुसलमानों से जकात (संपत्ति का 2.5%) गैर-मुसलमानों से जजिया वसूली जाती थी। साथ ही खुम्स (लूट का माल) भी राजस्व का स्रोत था। संपूर्ण भू-भाग तीन भागों में विभाजित था, जिनसे अलग-अलग मदों में कर प्राप्त किया जाता था, जैसे—खालिसा भूमि या शाही भूमि होती थी, जिसका संपूर्ण राजस्व शाही खजाने में जमा होता था।

तीसरी प्रकार की भूमि सयूरगाल या मदद-ए-माश भूमि थी, जो अनुदान के रूप में विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी, जिस पर अनुदान ग्राही का वंशानुगत अधिकार होता था। प्रारंभ में अकबर ने शेरशाह द्वारा अपनाई गई, जब्ती प्रणाली को अपनाया, जिसमें राई के आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था।

भू-राजस्व प्रणाली

पैमाइश को जब्त भी कहते थे। इसके तहत भूमि की माप की जाती थी। तथा इसमें जोते और बोए गए क्षेत्र की माप के आधार पर भू-राजस्व निर्धारण होता था।

बटाई के तहत फसल की पैदावार को राज्य एवं किसान के बीच बाँट लिया जाता था। बटाई तीन प्रकार की होती थी—

1. **रास बटाई या भावली**— फसल को काटने के बाद फसल के ढेर को बाँट लिया जाता था।
2. **लंक बटाई**— फसल से भूसा अलग करके अनाज के ढेर को बाँट लिया जाता था।
3. **खेत बटाई**— खेत को जोतने-बोने के लिए बाट लिया जाता था।

भूमि के प्रकार

भूमि को निम्न कोटियों में बाँटा गया था—

- **पोलज** ऐसी भूमि जहाँ हर वर्ष खेती होती थी, इस पर पूरा भू-राजस्व वसूला जाता था।
- **परती** ऐसी भूमि जो साल भर से परती पड़ी होती थी। यानि जहाँ साल भर से खेती नहीं हो रही हो इस पर पूरा भू-राजस्व वसूला जाता था।
- **चाचर** ऐसी भूमि, जो तीन-साल से परती पड़ी हों। इस पर खेती करने पर प्रारंभ में कम भू-राजस्व वसूला जाता था। तीसरे साल से पूरा भू-राजस्व वसूलना प्रारंभ होता था।

मुगलकाल में राजस्व निर्धारण पद्धति की चार प्रणालियाँ प्रचलित थीं—

1. जब्ती या दहशाला प्रणाली
2. बटाई, गल्ला, बख्शी या मओली
3. कनकूत
4. नस्क

मुगलकालीन समाज

मुगल कालीन जनसंख्या शहरों तथा गावों में निवास करती थी। इस समय समाज की आधारभूत इकाई गाँव थी। यहाँ के अधिकांश निवासी किसान थे। संपूर्ण कृषक वर्ग सामाजिक प्रतिष्ठा और धनके आसमान वितरण के आधार पर तीन वर्गों में बाँटा हुआ था—

1. **उच्चवर्ग**—शासक तथा अमीर वर्ग।
2. **मध्यवर्ग**—व्यापारी, वैद्य, धार्मिक नेता।
3. **निम्नवर्ग**—किसान व जनसाधारण।

मध्यकाल में भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी इसकाल में भी पर्दा-प्रथा बाल-विवाह, सती प्रथा और बहुविवाह जैसी सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थीं, किंतु विभिन्न वर्गों की स्त्रियों की दशा में भिन्नता थी। मुसलमानों में तलाक तथा पुनर्विवाह सामान्य बात थी, परंतु हिंदूओं ने इस प्रथा से घृणा की। बाल विवाह दोनों ही समुदायों में आम बात थी।

ग्रामीण जीवन

ग्रामीण समाज में किसानों तथा शिल्पकारों की प्रधानता थी। आसामी बड़े किसान थे। इनकी संख्या कम थी। मझोले किसान सबसे अधिक थे। गाँव के लिए जरूरी काम करने वाले लोग बलूटेदार कहलाते थे। इनमें नाई, धोबी, लोहार, बढ़ई आदि शामिल थे। इसके अलावा बलूटेदार लोग थे। जिनमें सुनार, दर्जी, भिश्ती, पुरोहित, गायक, वादक आदि शामिल थे।

मुगलकालीन अर्थव्यवस्था

मुगलकालीन अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित थी तथा आय का प्रमुख स्रोत भू-राजस्व था। अतः मुगल शासकों ने कृषि विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। कृषि के अतिरिक्त उद्योग व व्यापार भी उन्नत अवस्था में थे।

कृषि

कृषि के विस्तार तथा बेहतरी के लिए मुगल बादशाहों ने किसानों को बढ़ावा दिया और इसके लिए तकावी नामक ऋण भी वितरित किया। लगभग सभी खेद्यानों का उत्पादन किया जाता था। कुछ क्षेत्र वस्तु विशेष के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे—आगरा के निकट बयाना तथा गुजरात में सरखेज से सर्वोत्तम किस्म की नील पैदा की जाती थी। इसका विशद वर्णन पेलसार्ट ने किया है।

यूरोपियों के आगमन से भारत में विदेशी फसलों का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ, जैसे—अकबर के काल में पुर्तगालियों द्वारा तम्बाकू भारत लाया गया, मक्का भी अमेरिका से भारत लाया गया, ज्वार, कॉफी, आलू, लाल मिर्च व टमाटर सभी विदेशियों द्वारा ही भारत लाई गई फसलें हैं।

उद्योग

मुगलकाल में सूती वस्त्र उद्योग सबसे उन्नत अवस्था में था और इस पर शासन का पूर्ण नियंत्रण रहता था। यह एकमात्र ऐसा उत्पाद था, जिसका विदेशों में सबसे अधिक निर्यात होता था, भारत में निर्मित कपड़ों को 'केलीको' कहा जाता था।

रेशमी कपड़ा विदेशों से माँगा जाता था। रेशमी कपड़ों को पटोला कहा जाता था। इत्र (अस्मत् बेगम द्वारा आविष्कृत), सुगन्धित तेल तथा गुलाब जल जैसी वस्तुओं के उत्पादन में जौनपुर और गुजरात प्रसिद्ध थे। गोवा, भड़ौच, मछलीपट्टनम प्रमुख जहाज निर्माण केन्द्र थे। काष्ठ उद्योग के लिए कश्मीर विख्यात था।

व्यापार एवं वाणिज्य

आन्तरिक व बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार का विकास मुगलकाल में हुआ। साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक मार्ग आगरा से अहमदाबाद होता हुआ सूरत तक जाता था। मुगलकाल में थोक व्यापारियों को सेठ, बोहरा व मोदी कहा जाता था, जबकि खुदरा व्यापारियों को वणिक् कहा जाता था। दक्षिण भारत में चेट्टी व्यापारिक समुदाय के प्रमुख अंग थे।

इस काल में सामान्यतः चुँगी की दर प्रारंभ में वस्तु के मूल्य का 2.5% होती थी, किन्तु बाद में इसे बढ़ाकर 3.50% कर दिया गया। औरंगजेब के काल में हिन्दू व्यापारियों से वस्तु के मूल्य का 5% तथा मुसलमान व्यापारियों से 2.5% लिया जाने लगा।

इस काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुण्डी (एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण-पत्र) था। यह वह चिट्ठी होती थी, जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कुछ कटौती करके किया जाता था। 18वीं शताब्दी में बंगाल एवं गुजरात में ऋण प्रदान करने की एक नई व्यवस्था शुरू हुई, जिसे ददनी (अग्रिम संविदा एवं पेशगी) कहा जाता था। इसके अंतर्गत दस्तकारों (विशेषतः जुलाहों) को अग्रिम पेशगी देकर एक करार कर लिया जाता था।

इस काल में प्रारंभ में निर्यात की मुख्य वस्तु नील, शोरा, अफीम एवं सूती वस्त्र था, जबकि मुख्य आयात सोना, चाँदी, घोड़ा, कच्चा रेशम आदि वस्तुओं का होता था।

मुगलकालीन कला एवं संस्कृति

मुगल काल में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ। यह विकास स्थापत्य, चित्रकला, संगीत आदि सभी क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होता है।

स्थापत्य कला

मुगलकालीन स्थापत्य मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है, जिसमें फारस, मध्य एशिया, तुर्की, गुजरात, बंगाल एवं जौनपुर आदि स्थानों को परंपराओं का अद्भुत मिश्रण मिलता है। इस स्थापत्य की मुख्यतम विशेषता—संगमरमर के पथरों पर हीरे-जवाहरात से की गई जड़ावट पित्राड्यूर एवं महलों तथा विलास भवनों में बहते पानी का उपयोग है।

पानीपत के निकट काबुली-बाग में एक मस्जिद (1529 ई.) बनवाई। बाबर ने रुहेलखण्ड में सम्भल की जामी मस्जिद तथा आगरा में लोदी किले के भीतर एक मस्जिद बनवाई एवं ज्यामितीय विधि पर आधारित एक उद्यान आगरा में लगवाया, जिसे उसने नूर अफगान नाम दिया।

हुमायूँ ने 1553 ई. में दिल्ली में दीनपनाह नामक एक नगर का निर्माण करवाया। तथा हिसार जिले में फतेहाबाद नामक स्थान पर फारसी शैली में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। अकबरकालीन स्थापत्य कला में भारतीय एवं ईरानी शैलियों का सुन्दर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। इसमें अधिकांशतः शहतीरी शैली का प्रयोग हुआ, किन्तु सजावट के लिए इस्लामी की मेहराबी शैली का प्रयोग भी हुआ है। अकबरकालीन भवनों में अधिकतर लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है, किन्तु प्रभाव के लिए कहीं-कहीं सफेद संगमरमर का भी प्रयोग दिखाई देता है।

जहाँगीर कालीन स्थापत्य में सजावट पर विशेष बल दिया गया है। जहाँगीर कालीन प्रमुख इमारतें हैं—सिकन्दरा में स्थित अकबर का मकबरा, आगरा में स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा, दिल्ली स्थित अब्दुरहीम खानखाना का मकबरा। एतमादुद्दौला के मकबरे को ताजमहल और हुमायूँ के मकबरे के बीच की कड़ी कहा जाता है। पित्रदुरा का प्रथम प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया।

शाहजहाँ के काल में मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई, जिसमें संगमरमर का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। उसने आगरा तथा दिल्ली में अनेक भवनों का निर्माण कराया। आगरा में दीवान-ए-खास, रंग महल, शीश महल, खास महल, मच्छी महल, नगीना मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, मोती मस्जिद हैं। आगरा के स्मारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ताजमहल है, जिसे उसने अपनी प्रिय पत्नी मुमताजमहल की स्मृति में बनवाया था।

शाहजहाँ ने दिल्ली में 1639 ई. में शाहजहाँबाद नामक नगर बसाया, यहाँ लाल किला एवं जामा मस्जिद बनवाए गए। दिल्ली के लाल किला में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, हीरा महल, रंग महल, ख्वाब ग़ाह, हमारा आदि निर्मित कराए गए।

औरंगजेब के शासनकाल के सुन्दर भवनों में लाहौर की बादशाही मस्जिद, दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद और औरंगाबाद में स्थित रविया-उद्-दुर्रानी का मकबरा प्रमुख हैं।

चित्रकला

मुगल चित्रकला की नींव हुमायूँ द्वारा फारस में डाली गई। उसके साथ मीर सैयद अली तबरीजी तथा ख्वाजा अब्दुस्समद नामक चित्रकार भी भारत आए। दोनों को मुगल शैली का संस्थापक माना जाता है।

अकबर ने चित्रकला को विशेष प्रश्रय दिया, चित्रकला का एक पृथक विभाग बनाया। इस विभाग का अध्यक्ष अब्दुस्मद था। उसने अपनी चित्रशाला में विदेशी चित्रकारों के साथ-साथ स्थानीय चित्रकारों को भी रखा। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली, अब्दुस्मद, मिस्किन (यूरोपीय शैली का चित्रकार), फारूख बेग बसावन (व्यंग्य चित्रकार थे) एवं दसवन्त (हिन्दुओं में अग्रणी थे) मुगल काल की महत्वपूर्ण कृति दास्तान-ए-अमीर-हम्जा (हम्जानामा) का चित्रकन इसी काल में हुआ।

जहाँगीर काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसने नवीन चित्रशाला का आगरा में निर्माण कराया। चित्रकला में ईरानी के स्थान पर यूरोपीय शैली का प्रभाव बढ़ा तथा प्राकृतिक चित्रण को प्रमुखता प्रदान की गई। अद्भुत और विरलें पुष्पों, वनस्पतियों और पशु-पक्षियों का प्रमुखता से चित्रण हुआ। जहाँगीरकालीन प्रमुख चित्रकारों में अकारित्र, अबुल हसन (नादिर-एल-जमाँ की उपाधि), दौलत, मंसूर (नादिर-उल-अस्र की उपाधि), विशनदास तथा फारूख बेग प्रमुख हैं। मंसूर पशु-पक्षी तथा प्रकृति चित्रण में एवं अबुल हसन व्यक्ति-चित्र में सिद्धहस्त थे।

संगीत कला

बाबर एवं हुमायूँ ने भी यद्यपि संगीत को प्रोत्साहन दिया, किन्तु यह अकबर ने काल में अपने शिखर पर पहुँची। अबुल फजल के अनुसार—अकबर के दरबार में 36 गायकों को राज्याश्रय प्राप्त था। अकबर स्वयं बहुत अच्छा नक्कारा (नगाड़ा) बजाता था। अकबर ने तानसेन को 'कण्ठाभरणवाणी विलास' की उपाधि प्रदान की थी।

अकबर के काल के प्रमुख संगीतज्ञ थे—तानसेन, बाजबहादुर, बैजबख्त, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खाँ, मियाँ चाँद तथा मियाँ लाल एवं बैजू बावरा (दरबार से सम्बन्धित नहीं था) प्रमुख थे।

जहाँगीर के काल में प्रमुख संगीतज्ञों में तानसेन के पुत्र बिलास खाँ, छतर खाँ, मक्खू तथा हमजान प्रमुख थे। जहाँगीर ने एक गजल गायक शौकी को आनन्द खाँ की उपाधि दी।

शाहजहाँ अत्यन्त रसिक एवं संगीत-मर्मज्ञ था। कहा जाता है कि उसके दीवाने-खास में प्रतिदिन वाद्य-वादन और संगीत हुआ करता था। शाहजहाँ के काल के प्रमुख संगीतज्ञ थे—लाल खाँ, खुशहाल खाँ और बिसराम खाँ। शाहजहाँ ने लाल खाँ (बिलास खाँ के दामाद) को गुनसमुन्दर (गुण समुद्र) की उपाधि दी थी।

औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर पाबन्दी लगा दी थी, किन्तु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणावादक था। औरंगजेब के काल के प्रमुख संगीतज्ञ रसबैन खाँ, सुखीसेन, कलावन्त, हयात सरसनैन और किरपा थे।

शिक्षा एवं साहित्य

शिक्षा

मुगल शासकों ने शिक्षा का पोषण किया। मुगल काल में मकतब और मदरसों की व्यवस्था थी, जहाँ शिक्षा दी जाती थी। बाबर के समय में एक विभाग—शुहरमे-आम होता था, जो स्कूल एवं कॉलेजों की व्यवस्था करता था। हुमायूँ ज्योतिष एवं भूगोल का अच्छा ज्ञाता था, उसने दिल्ली में एक पुस्तकालय भी बनवाया था। माहम अनगा (अकबर की दाई माँ) ने दिल्ली में मदरसा-ए-बेगम की स्थापना की थी।

शाहजहाँ ने दिल्ली में एक नए कॉलेज का निर्माण करवाया तथा दारुल-बर्का नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। मुगल राजपरिवार का सर्वाधिक विद्वान शहजादा दाराशिकोह था, वह हमेशा विद्वानों एवं सन्तों का आदर करता था। उसकी बड़ी बहन जहाँआरा भी एक विद्वान और विद्वानों का आदर करने वाली महिला थी। औरंगजेब के समय में मकतबों एवं मदरसों को सहायता दी जाती थी, किन्तु उसने हिन्दू पाठशालाओं को बन्द करवाने कोशिश की।

मुगल काल में विद्यार्थियों को तीन प्रकार की उपाधियाँ दी जाती थीं—तर्क और दर्शन के विद्यार्थी को फाजिल, धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थियों को आमिल तथा साहित्य के विद्यार्थियों की काबिल।

मुगल काल में साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। हुमायूँ के काल में भी साहित्य की रचना हुई। दरबारी इतिहास लिखवाने की परंपरा अकबर ने शुरू की। अकबर के काल में विभिन्न पुस्तकों का अनुवाद भी किया गया।

अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद किया गया तथा उसका संकलन रज्मनामा नाम से किया गया। इसके अतिरिक्त सिंहासन बत्तीसी तथा पंचतंत्र का 'कल्लीला-ए-दिमना' नाम से तथा अबुल फजल ने कालिया-दमन का 'यार-ए-दानिश' नाम से अनुवाद किया।

अकबर के शासनकाल में बदायूँनी ने रामायण का, राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का, इब्राहिम सरहिन्दी ने अथर्ववेद का, फैजी ने गणित की एक पुस्तक लीलावती का, मुकम्मल खाँ गुजराती ने ज्योतिष तजक का जहाँन-ए-जफर नाम से, अब्दुरहीम खानखाना ने तुजुके-बाबरी, मौलाना शाह मुहम्मद शाहावादी ने कश्मीर के इतिहास (राजतरंगिणी) का फारसी में अनुवाद किया।

तालिका 12.2: मुगलकालीन साहित्य

रचना	भाषा	रचनाकार
तुजुके-बाबरी (बाबरनामा)	तुर्की	बाबर (आत्मकथा)
हुमायूँनामा	फारसी	गुलबदन बेगम
तारीख-ए-रशीदी	फारसी	मिर्जा हैदर दौगलत
अकबरनामा	फारसी	मुल्ला दाऊद
तबकाते-अकबरी	फारसी	अबुल फजल
मुन्तखब-उल-तवारीख	फारसी	निजामुद्दीन अहमद
तुजुके-जहाँगीरी	फारसी	अब्दुल कादिर बदायूँनी
इकबालनामा-ए-जहाँगीरी	फारसी	जहाँगीर, मौतमिद खाँ
बादशाहनामा	फारसी	मौतमिद खाँ बख्शी
बादशाहनामा	फारसी	मोहम्मद अमीन कजवीनी
चहार-चमन	फारसी	अब्दुल हमीद लाहौरी (मेहम्मद वारिस ने पूर्ण किया)
शाहजहाँनामा	फारसी	चन्द्रान
आलमगीरनामा	फारसी	काजिम शीराजी
फुतूहात-ए-आलमगीरी	फारसी	ईश्वरदास नागर
मासिर-ए-आलमगीरी	फारसी	साकी मुसतइद खाँ
मुन्तखब-उल-नुवाक	फारसी	खफी खाँ
मुन्तसब-ए-दिलकुआँ	फारसी	भीमसेन सक्सेना
खुलासत-उत-तवारीख	फारसी	सुजानराय भण्डारी
मज्म-उल-बहरीन	फारसी	दारा शिकोह

तालिका 12.3: मुगलकाल में आए विदेशी यात्री

विदेशी यात्री	मुगल शासक
राल्फ फिच (इंग्लैण्ड)	अकबर
सर टॉमस रो व कैप्टन हाकिन्स (इंग्लैण्ड)	जहाँगीर
फ्रांसिस बर्नियर (फ्रांसिसी)	शाहजहाँ
पीटर मुण्डी (इटली)	शाहजहाँ
मनूची (इटली)	शाहजहाँ
ट्रैवनिंयर (फ्रांसिसी)	शाहजहाँ

तकनीकी विकास

भारत में पहली बार बाबर ने आग्नेय अस्त्रों (तोड़ेदार बन्दूक) का इस्तेमाल किया। यूरोप में बन्दूक चलाने के लिए दो विधियों का उपयोग किया जाता था। चक्र तकनीकी (व्हीललॉक) एवं चक्कमकी पत्थर की विधि। फ्रिलण्टलॉक का प्रयोग पिस्तौल के लिए होता था।

मुगलों ने यूरोपवासियों से जहाजों के निर्माण में कील का उपयोग तथा जहाज से पानी निकालने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चेन पंप (तासघड़ियाल यंत्र) का प्रयोग सीखा।

16वीं एवं 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के शहरों में समय पता करने के लिए जलघड़ी का प्रयोग किया जाता था। इसे फारसी में तास और पूर यान्त्रिकी को ताप घड़ियाल कहा जाता था। यूरोपवासी भारत में यान्त्रिक घड़ी लेकर आए। सर टॉमस रो ने जहाँगीर को एक यान्त्रिक घड़ी भेंट स्वरूप दी थी।

मुगलकाल में भवन का नक्शा बनाने की प्रथा चल पड़ी, जिसे फारसी में खाका कहते थे। जहाँगीर के समय नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब जल से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। पानी को ठण्डा करने की विधि भी ज्ञात थी, इसके लिए 'शोरे' का उपयोग किया जाता था।

अध्याय सार संग्रह

- बाबर ने 1526 ई. में सल्तनत शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल शासन की स्थापना की।
- बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है।
- शेरशाह के शासन काल में जायसी ने पद्मावत की रचना की।
- मुगलकाल में अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की।
- अकबर ने सभी धर्मों को मिलाकर तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही नामक एक नये धर्म की स्थापना की।
- अकबर ने सत्तासीन होने के समय बड़े दिनों के लिए सूर साम्राज्य के हिन्दू सेनापति हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर राज किया।
- अकबर ने 1564 ई. जजिया कर हटा दिया जबकि औरंगजेब में 1679 ई. में फिर से जजिया कर लागू कर दिया।
- जहांगीर ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर-उल-अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी।
- कैप्टन हॉकिन्स और थॉमस रो ने जहांगीर के संबंध में विस्तृत चर्चा की है।
- सद्र-उस-सुदूर धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। इसे शेख-उल-इस्लाम भी कहा जाता था।
- मुगल सेना का गठन दशमलव पद्धति पर किया गया था।
- अकबर के शासन काल में हिन्दू मनसबदारों का अनुपात 16 प्रतिशत, शाहजहाँ के काल में 24 प्रतिशत था, जबकि औरंगजेब के समय यह अनुपात 33 प्रतिशत हो गया था।
- औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि उन्हें देने के लिए जागीर ही नहीं बची। इस स्थिति को बेजागिरी कहा गया।
- मुगलकालीन आर्थिक जीवन की जानकारी आइने-अकबरी से मिलती है।
- मुगल काल में सार्वजनिक आचार को नियंत्रित करने वाला अधिकारी मुहतसिब कहलाता था।
- शाहजहाँ ने 1648 ई. में आगरा से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया।
- शाहजहाँ के शासनकाल से शासन के क्षेत्र में राजपूतों के प्रभाव में कमी आने लगी।
- मुगलकाल में गुप्त सूचनाओं के संवाहक को हरकारा कहा जाता था।
- सम्राट के बाद मुगल सम्राज्य में सर्वोच्च न्यायाधिकारी काजी-उल-कुजात होता था।
- मुगलकाल में निर्यात की प्रमुख वस्तु नील थी।
- बाबर ने लाहौर में शालीमार बाग और कश्मीर में निशात बाग का निर्माण करवाया।
- अकबर के शासन काल में लड़कों के विवाह की आयु 16 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी।